परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ

संख्या–213(जी)एलएएस / 2012–451मिस / एलएएस / 90 दिनांकः 25 सितम्बरः 09 2012

1–मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन / संचालन / प्राविधिक),
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

2–वित्त नियंत्रक,
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

3–समस्त प्रधान प्रबन्धक,
परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ ।

4–प्रधान प्रबन्धक(के0का0 / डा0रा0म0लो0कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।

5–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

6–समस्त सहायक विधि अधिकारी / स0क्षे0प्र0(का0),
विधि शाखा का कार्य देख रहे स0क्षे0प्र0,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–अवमानना याचिकाओं में वृद्धि रोकने हेतु मा0 उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना।

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र सं0–2057एलएएस / 11–85एलएएस / 11 दिनांक–02–05–2011, जिसके द्वारा मा0 न्यायालयों के आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें,

मा0 उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में समयबद्ध रूप से कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है। मा0 न्यायालयों द्वारा पारित अन्तरिम आदेश / अन्तिम निर्णय के तारतम्य में अनुपालन / अपील का सक्षम स्तर से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर समयान्तर्गत निर्दिष्ट कार्यवाही कराने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्र का है।

शासन द्वारा अवमानना वादों में हो रही वृद्धि पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है, तथा मा0 न्यायालय के अन्तरिम आदेश अथवा अन्तिम निर्णय का समयान्तर्गत अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अवमानना वादों की सघन समीक्षा करते हुए न्यायालयों के आदेश के अनुपालन में, किस स्तिर से विलम्ब हुआ उसके लिए दोषी कर्मचारी / अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

अतः मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेश / निर्णय के सम्बन्ध में तत्काल सक्षम स्तर से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित अवधि में वांछित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। मा0 न्यायालयों के आदेशों का समयान्तर्गत अनुपालन न करने के कारण, अवमानना वाद योजित होने तथा मा0 न्यायालयों द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किये जाने की दशा में उत्तरदायी कर्मचारी / अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(सुधीर दीक्षित)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com